e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0– 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (जमुई) संविदा – 35/2022 1328.7 **पटना, दिनांकः**–10-08-2024

आदेश

बन्दोबस्त पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक–104 दिनांक 10.02.2024 द्वारा श्रीमती दीपिका कुमारी (Emp.ID-ASO00124), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के विरूद्ध बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के अनुपस्थित रहने, तथा अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्यहीनता का कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए संविदा सेवा से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रीमती दीपिका कुमारी से भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–1314 दिनांक 12.03.2024 द्वारा प्रतिवेदित आरोप के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मांग किया गया है। श्रीमती कुमारी द्वारा ससमय स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

श्रीमती कुमारी द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संदर्भ में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा अवकाश पर जाने के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गयी है, जिसमें दिनांक 07.08.2023, 11.09.2023, 30.10.2023 एवं 18.12.2023 तथा दिनांक 06.02.2024 को मातृत्व अवकाश आवेदन देने का उल्लेख किया गया है। साथ ही इनके द्वारा दिनांक 07.08.2023 से 09.09.2023 तक अर्जित अवकाश आवेदन तथा दिनांक 07.02.2024 से 04.08.2024 तक मातृत्व अवकाश स्वीकृति का आवेदन बन्दोबस्त पदाधिकारी, जमुई को समर्पित किया गया है।

श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई है, समीक्षोपरान्त पाया गया कि इनके द्वारा अपने अवकाश की सूचना समय–समय पर दी गई है। इनके द्वारा मातृत्व अवकाश के अलावे कर्त्तव्य से अनुपस्थिति अवधि का अवैतनिक अवकाश का अनुरोध किया गया है। स्पष्टीकरण के साथ इनके द्वारा चिकित्सा से संबंधित कागजात संलग्न किया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि ये चिकित्सा में रही है।

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा निर्गत सर्वेक्षण कर्मियों के अवकाश संबंधी नियम में मातृत्व अवकाश का प्रावधान है, परन्तु अवैतनिक अवकाश का प्रावधान संविदा कर्मियों के लिए मात्र एक माह का है। प्रावधानित नियम के आलोक में श्रीमती कुमारी का दिनांक 07.02.2024 से 04.08.2024 तक का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति बन्दोबस्त पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में की जाएगी तथा दिनांक 07.08.2023 से 06.02.2024 तक अनुपस्थित अवधि का कार्य नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत अपनाया जाएगा। साथ ही इन्हें बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई से स्थानान्तरित करते हुए बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय में योगदान हेतु निदेशित किया जाता है। इनका स्थानान्तरण आदेश R2R Software के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश के साथ श्रीमती दीपिका कुमारी (Emp.ID-ASO00124), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकृत किया जाता है।

(जय सिंह) 10/8/24
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\JYOTI 2024\Bablu Sir\Order\Director\35-2022 07-08-2024 Deepeka.doc

ज्ञापांक– 01 / भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(जमुई)संविदा– 35 / 2022 13287 **पटना, दिनांक** :10-08-2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती दीपिका कुमारी (Emp.ID-ASO00124), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 01 / भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(जमुई)संविदा– 35 / 2022 13287 **पटना, दिनांक** :10-08-2024

प्रतिलिपि :– बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई / बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 01 / भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(जमुई)संविदा– 35 / 2022 13287 **पटना, दिनांक** :10-08-2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी R2R के अन्तर्गत संधारित व्यक्तिगत संचिका में संधारित करें।

निदेशक 10/8/24
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\JYOTI 2024\Bablu Sir\Order\Director\35-2022 07-08-2024 Deepeka.doc